



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 314 राँची, बुधवार,

23 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

2 जून, 2021

संख्या :- 8/आरोप-06/2019 (खण्ड) का० 2482-- झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुनील कुमार झा, तत्कालीन सहायक, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति-अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध इवाकरा योजना अन्तर्गत सृजित एवं अस्थायी ग्राम सेविका के पदों पर कार्यरत कर्मों को गैर-योजना मद के स्थायी ग्राम सेविका के पद के विरुद्ध वेतन भुगतान करने के निदेश से सम्बन्धित कार्यालय आदेश के निर्गमन की प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव के गठन के क्रम में स्थापित नियमों तथा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का आरोप ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक-4183 दिनांक-13.11.2019 द्वारा प्रतिवेदित है।

2. उक्त के सम्बन्ध में श्री झा, अवर सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3 उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4 उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु श्री अशोक कुमार, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी एवं आरोपित पदाधिकारी को भेजी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
